न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या :– 78/19 तारीख दायर 8-4-19

शिवलाल पिता जीवण जी जाति अहीर, उम्र 64 वर्ष, निवासी झाड़ोली, तहसील बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....प्रार्थी

बनाम्

1 प्यार पुरी पिता देबी पुरी जाति गोस्वामी, उम्र वयस्क, निवासी झाड़ोली, तहसील बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राज0)

2 गोपाल पिता हीरा जी जाति अहीर, उम्र वयस्क, निवासी झाड़ोली, तहसील बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राज0)

3 प्रभु पिता पन्नालाल जाति मीणा, उम्र वयस्क, निवासी दाता, तहसील बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राज0) (नाम हटाया गया)

......विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 11–128 रा0ले0रे0 एक्ट

:–आदेश:– दिनांक 14-5-19

प्रार्थनापत्र **प्रार्थी श्री शिवलाल** ने जरिये अभिभाषक **श्री सुमित जोशी** प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि भुमि **मौजा ग्राम झाड़ोली पटवार हल्का सलावटिया भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सलावटिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0) में खाता संख्या 232 की आराजी नबर 608 रकबा 2 बीघा भुमि** स्थित हैं। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न हैं।

प्रार्थना पत्र रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी और पत्रावली का अवलोकर किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के अवलोकर से प्रार्थी वादग्रस्त आराजियात का खातेदार/गेर खातेदार काश्तकार हैं। पडोसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता हैं।

अतः प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया **मौजा ग्राम झाड़ोली पटवार हल्का सलावटिया भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सलावटिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0) में खाता संख्या 232 की आराजी नबर 608 रकबा 2 बीघा भुमि** की बाशामालात पड़ोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता हैं एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे। भू अभिलेख निरीक्षक सलावटिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है व कमिश्नर फीस 500/- रु तय किये जाते हैं जो कि [illegible] पत्रावली [illegible] [illegible]।
प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि -भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

Scanned by CamScanner